ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

पृथ्वी राज

सिविल अपील संख्या 648/2008

24 जनवरी 2008

(डॉ.अरिजीत पसायत और पी. सतशिवम न्यायाधिपति)

मोटर वाहन अधिनियम 1988-

वाहन दुर्घटनाः- बीमित वाहन की क्षति - स्वयं की क्षति हेतु दावा- बीमाकर्ता ने इसका खण्डन नहीं किया कि वाहन के चालक के पास वैद्य चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी। अभिनिर्धारित- राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दिया है कि लाईसेंस प्राधिकारी ने दावाकर्ता व चालक को अनुज्ञप्ति जारी नहीं की थी। बीमा कम्पनी का दायित्व नहीं हैं।उपभोक्ता संरक्षरण अधिनियम, 1986

चालन अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण– अभिनिर्धारितः- नवीनीकरण एक फर्जी अनुज्ञप्ति को असली नहीं बना देता हैं।

रेस्पोडेंट ने अपीलांट बीमा कम्पनी के विरूद्ध राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक दावा उसकी

बीमित बस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गई थी के प्रतिकर हेतु पेश किया। बीमा कम्पनी की यह प्रतिरक्षा थी कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी। राज्य आयोग ने परिवादी की इस दलील को नहीं माना कि चालन अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण था तथा याचिका खारिज की। अपील में राष्ट्रीय आयोग ने यह अभिनिर्धारित किया कि संबंधित लाईसेंस प्राधिकारी ने परिवादी को चालन अनुज्ञप्ति जारी नहीं की परन्तु तथ्यों को देखते हुए कि एक पृथक प्राधिकारी ने उसका नवीनीकरण किया बीमा कम्पनी प्रतिकर देने से इनकार नहीं कर सकती।

न्यायालय द्वारा बीमा कम्पनी द्वारा पेश की गई अपील की अनुमति देते हुये अभिनिर्धारित किया गया :-

1.1 इस प्रकरण में राज्य आयोग ने यह स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्थापित हैं कि रेस्पोडेंट चालक के पास लाईसेंस प्राधिकारी ने चालन अनुज्ञप्ति जारी नहीं की थी। हैदराबाद आर.टी.ए. के संयुक्त आयुक्त व सचिव कार्यालय के कनिष्ठ सहायक ने साक्ष्य के दौरान कार्यालय का अभिलेख पेश किया जिससे यह स्पष्ट हैं कि संबंधित वाहन चालक को चालन अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई तथा न ही वाहन को चलाने की अनुमति दी गई। इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी। राष्ट्रीय आयोग ने भी यह पाया कि राज्य आयोग ने अनुज्ञप्ति के संबंध में जो निष्कर्ष निकाला हैं उसमें कोई त्रुटि नहीं हैं।

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम लक्ष्मी नारायण धूत 2007 (3) एस.सी.आर. 579 पर भरोसा किया।

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम स्वर्णसिंह व अन्य 2004 (3) एस.सी.सी. 217 असहमत।

लालचन्द बनाम ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि. 2006 (3) स्केल 531 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम लेहरू व अन्य 2003(3)एस.सी.सी.338 उद्धत किया।

1.2 लक्ष्मी नारायण धूत के मामले में यह अभिनिर्धारित किया हैं कि लाईसेंस प्राधिकारी को यह अधिकार नहीं हैं कि वह फर्जी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करें नवीनीकरण एक फर्जी अनुज्ञप्ति को असली नहीं बना देता हैं।

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. बनाम लक्ष्मी नारायण धूत 2007 (3) एससीआर 579 पर भरोसा किया।

1.3 अपीलांट बीमा कम्पनी को कोई दायित्व नहीं है। अपीलांट ने जो राशि जमा कराई है वह इस न्यायालय के आदेश से उसे लौटाई जायें।[पैरा 11] [1196,बी,सी]

सिविल अपील क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 648/2008

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली के एफ.ए.संख्या 823/2003 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 09-03-2005 से ।

किशोर रावत और एम.के. दुआ - अपिलार्थी की ओर से।

जे.एस.अत्री - उत्तरदाता की ओर से।

डॉ.-अरिजित पसायत न्यायाधिपति - 1. पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना गया।

2. अनुमति स्वीकार की गई।

3. इस अपील में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली (संक्षेप में आयोग) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा अपीलांट (यहाँ प्रतिवादी)द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार की गई। इसके बाद उन्हें शिकायतकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (संक्षेप में राज्य आयोग) हिमाचल प्रदेश के समक्ष शिकायतकर्ता ने एक शिकायत दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता के स्वामित्व वाली एक मिनी बस उस अवधि के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गई जब अपीलांट द्वारा बीमा कवरपॉलिसी जारी की गई थी। घटना की सूचना बीमा कंपनी को दी गई लेकिन दावे का निपटारा इस आधार पर नहीं किया गया कि दोषी वाहन के चालक के पास वैध और परिचालन चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी। शिकायतकर्ता ने यह तथ्य लिया कि चालन अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया गया था जो वैद्य और कानूनी था और इसलिए बीमा कंपनी द्वारा दावे को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्य आयोग ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि आरटीए हैदराबाद द्वारा कोई वैध चालन अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई थी जैसा कि चालक ने दावा किया था।

4. आक्षेपित आदेश की अपील में एक विपरीत दृष्टिकोण यह अपनाया कि राज्य आयोग ने सही ढंग से नोट किया था कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी हैदराबाद ने कोई अनुज्ञप्ति जारी नहीं की थी जैसा कि दावा किया गया था। फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तनसुखिया में

नवीनीकरण हुआ था बीमा कंपनी द्वारा दावा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तथ्य के संबंध में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लेहरू और अन्य। 2003 (3) एससीसी 338 पर विश्वास किया।

5. अपीलांट - बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि लेहरू का मामला (सुप्रा) तीसरे पक्ष के दावे से संबंधित है न कि स्वयं के नुकसान के दावे से।

6. दूसरी ओर रेस्पोडेंट के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय लाल चंद बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. (2006(8) स्केल 531) पर विश्वास करते हुए कहा कि राष्ट्रीय आयोग ने जो निष्कर्ष दिया है वह सही हैं। इसके अलावा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह एवं अन्य (2004((3) एससीसी 297 पर भी भरोसा किया।

7. यह ध्यान दिया जाए कि स्वर्णसिंह का मामला (सुप्रा) मोटर वाहन अधिनियम 1988 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 149 की पृष्ठभूमि में दिया गया था।

8. इस न्यायालय द्वारा इसी तरह के मुद्दे को नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण धुत (2007(3) एससीआर 579) में

निपटाने का अवसर मिला था। जिसमें निम्न तथ्य अभिनिर्धारित किया गयाः-

> ‘‘8- अधिनियम की धारा 149 तीसरे पक्ष के जोखिमों के संबंध में बीमाकृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णयों और पंचाट को संतुष्ट करने के लिए बीमाकर्ताओं के कर्तव्य से संबंधित हैं। प्रावधान की भाषा से स्पष्ट है कि यह केवल तीसरे पक्ष के जोखिम से संबंधित है। इस संबंध में पुराना प्रावधान अधिनियम की धारा 96 में हैं। अधिनियम की धारा 166 प्रतिकर के लिए आवेदन से संबंधित है। यह पुराने अधिनियम की धारा 110-ए से मेल खाती है। अधिनियम की धारा 168 दावा अधिकरण के पंचाट से संबंधित है जो पुराने अधिनियम की धारा 110-बी से मेल खाती हैं। धारा 170 कुछ मामलों में बीमाकर्ता को पक्षकार बनाने से संबंधित है। अधिनियम की धारा 149 को पूर्ण रूप से पढ़े जाने की आवश्यकता हैं जो निम्न प्रकार से हैंः-
>
> ‘‘तीसरे पक्ष के जोखिमों के संबंध में बीमाकृत व्यक्तियों के विरूद्ध निर्णय और पंचाट को संतुष्ट करने के लिए बीमाकर्ताओं के कर्तव्य यदि धारा 147 की उपधारा (3) के तहत किसी व्यक्ति के पक्ष में बीमा प्रमाण पत्र जारी किया

गया हैं जिनके द्वारा कोई पॉलिसी लागू की गई हैं ऐसे किसी दायित्व के संबंध में निर्णय या पंचाट दिया गया हैं जिसे धारा 147 की उप-धारा 1 के खंड बी के तहत पॉलिसी द्वारा कवर किया जाना आवश्यक हैं (शर्तों के तहत कवर किया गया दायित्व है या धारा 163-ए के प्रावधानों के तहत पॉलिसी द्वारा बीमित किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध प्राप्त की जाती हैं, भले ही बीमाकर्ता पॉलिसी से बचने या रद्द करने का हकदार हो सकता हैं या पॉलिसी से बच सकता हैं या रद्द कर सकता हैं बीमाकर्ता के अधीन होगा इस धारा के प्रावधान डिक्री के लाभ के हकदार व्यक्ति को देय बीमा राशि से अधिक नहीं होने वाली किसी भी राशि का भुगतान करते हैं जैसे कि देनदार थे दायित्व के संबंध में लागत के संबंध में देय किसी भी राशि के साथ और निर्णयों पर ब्याज से संबंधित किसी भी अधिनियम के आधार पर उस राशि पर ब्याज के संबंध में देय कोई भी राशि।

2. किसी भी निर्णय या पंचाट के संबंध में उपधारा 1 के तहत बीमाकर्ता द्वारा कोई राशि देय नहीं होगी जब तक कि कार्यवाही शुरू होने से पहले जिसमें निर्णय या पंचाट दिया जाता हैं बीमाकर्ता को न्यायालय के माध्यम से नोटिस दिया गया हो या जैसा भी मामला हो कार्यवाही लाने का दावा

अधिकरण या ऐसे निर्णय या पंचाट के संबंध में जब तक कि अपील लंबित होने तक निष्पादन रुका हुआ हो और जिस बीमाकर्ता को ऐसी कोई कार्यवाही करने का नोटिस दिया गया हैं वह उसमें एक पक्ष बनने और निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर कार्यवाही में बचाव करने का अधिकारी होगा अर्थातः-

(ए) कि पॉलिसी की एक निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन हुआ है जो निम्नलिखित शर्तों में से एक है अर्थातः-

(i) वाहन के उपयोग को छोड़कर-

(ए) किराये या प्रतिफल के लिए जहां वाहन बीमा के अनुबंध की तिथि पर किराये या प्रतिफल के लिए चलने के परमिट के अंतर्गत नहीं आता हैं या

(बी) गति परीक्षण या रेसिंग के लिए या

(सी) किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जो परमिट द्वारा अनुमत नहीं हो जिसके तहत वाहन का उपयोग किया जाता हैं जहां वाहन एक परिवहन वाहन हैं या

(डी) जहां वाहन मोटर साइकिल है वहां साइड-कार लगाए बिना या

(ii) किसी नामित व्यक्ति या व्यक्तियों या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग को छोड़कर जिसके पास विधिवत अनुज्ञप्ति नहीं है या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग को छोड़कर जिसे अयोग्यता की अवधि के दौरान चालन अनुज्ञप्ति रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य ठहराया गया हैं या

(iii) युद्ध गृहयुद्ध दंगा या नागरिक हंगामे के कारण आई चोट के लिए दायित्व को छोड़कर या

(बी) पॉलिसी इस आधार पर शून्य हैं कि वह किसी भौतिक तथ्य के गैरप्रकटीकरण द्वारा या उस तथ्य के प्रतिनिधित्व द्वारा प्राप्त की गई थी जो कुछ भौतिक विशिष्टियों में गलत था।

3. जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी निर्णय किसी पारस्परिक देश के न्यायालय से प्राप्त किया जाता हैं और विदेशी निर्णय के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की धारा 13 के प्रावधानों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। इसके द्वारा निर्णित किसी भी मामले के बारे में निर्णायक बीमाकर्ता बीमा अधिनियम 1938 के तहत 1938 का 4 पंजीकृत बीमाकर्ता होने के नाते और क्या वह

पारस्परिक देश के कानून के तहत पंजीकृत हैं या नहीं। डिक्री के लाभ के हकदार व्यक्ति के प्रति उपधारा (1) में निर्दिष्ट तरीके और सीमा तक उत्तरदायी होगा जैसे कि निर्णय भारत के किसी न्यायालय द्वारा दिया गया हैंः

परन्तु ऐसे किसी निर्णय के संबंध में बीमाकर्ता द्वारा कोई राशि देय नहीं होगी जब तक कि कार्यवाही शुरू होने से पहले जिसमें निर्णय दिया जाता हैं, बीमाकर्ता को संबंधित न्यायालय के माध्यम से नोटिस दिया गया था। इस प्रकार दिया गया नोटिस पारस्परिक देश के संबंधित कानून के तहत कार्यवाही में एक पक्ष बनने और उपधारा (2) में निर्दिष्ट आधारों के समान आधार पर कार्यवाही में बचाव करने का अधिकारी हैं।

4. जहां धारा 147 की उपधारा (3) के तहत उस व्यक्ति को बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया हैं जिसके द्वारा पॉलिसी बनाई गई हैं वहां पॉलिसी का इतना हिस्सा संदर्भ द्वारा बीमित व्यक्तियों के बीमा को प्रतिबंधित करने के लिए हैं उपधारा (2) के खंड बी के अलावा किसी भी शर्त के लिए धारा 147 की उपधारा (1) के खंड बी के तहत पॉलिसी

द्वारा कवर की जाने वाली ऐसी देनदारियों के संबंध में किया जाएगा।

बशर्ते कि बीमाकर्ता द्वारा किसी भी व्यक्ति के किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए भुगतान की गई कोई भी राशि जो केवल इस उपधारा के आधार पर पॉलिसी द्वारा कवर की जाती हैं बीमाकर्ता द्वारा उस व्यक्ति से वसूली योग्य होगी।

5. यदि बीमाकर्ता इस धारा के तहत पॉलिसी द्वारा बीमित व्यक्ति द्वारा किए गए दायित्व के संबंध में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता हैं तो वह राशि उस राशि से अधिक हो जाती हैं जिसके लिए बीमाकर्ता इस धारा के प्रावधानों के अलावा पॉलिसी के तहत उत्तरदायी होगा। उस दायित्व के संबंध में बीमाकर्ता उस व्यक्ति से अतिरिक्त राशि वसूल करने का अधिकारी होगा।

6. इस धारा में वर्णित ''महत्वपर्ण तथ्य और ''सामग्री विशेष'' का अर्थ क्रमशः ऐसी प्रकृति का तथ्य या विवरण जो एक विवेकपूर्ण बीमाकर्ता के निर्णय को प्रभावित करता है कि वह जोखिम लेगा या नहीं और यदि हां तो किस प्रीमियम और किन शर्तों पर और अभिव्यक्ति ''पॉलिसी की शर्तों द्वारा कवर की गई देनदारी' का मतलब एक देनदारी हैं

जो पॉलिसी द्वारा कवर की जाती है या जो इस तरह से कवर की जाएगी लेकिन इस तथ्य के लिए बीमाकर्ता बचने या रद्द करने का अधिकारी है कि पॉलिसी टाल दी है या रद्द कर दी हैं।

7. कोई भी बीमाकर्ता जिसे उपधारा 2 या उपधारा 3 में निर्दिष्ट नोटिस दिया गया है ऐसे किसी भी निर्णय या पंचाट के लाभ के हकदार किसी भी व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से बचने का अधिकारी नहीं होगा। उपधारा 1 में निर्दिष्ट या ऐसे निर्णय में जैसा कि उपधारा 3 में संदर्भित हैं उपधारा 2 में या पारस्परिक देश के संबंधित कानून में प्रदान किए गए तरीके से अन्यथा जैसा कि मामला हो सकता हैं।

स्पष्टीकरणः इस खंड के प्रयोजनों के लिए ''दावा न्यायाधिकरण'' का अर्थ धारा 165 के तहत गठित दावा न्यायाधिकरण है और ''पंचाट'' का अर्थ धारा 168 के तहत न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया पंचाट है।

"9. स्वर्ण सिंह के मामले (सुप्रा) में जिस पर पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण ने अधिनियम की धारा 149 के तहत एक मामले के संदर्भ में निर्विवाद रूप से भरोसा किया हैं। इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 147 और 149 के

दायरे के बारे में विस्तार से बताया और अनिवार्य बीमा के इतिहास और तीसरे पक्ष के अधिकारों का पता लगाने के बाद यह माना गया कि संबंधित मामले मुख्य रूप से पॉलिसी के तहत तीसरे पक्ष के अधिकारों से संबंधित थे। उस संदर्भ में यह माना गया कि पॉलिसी में कोई भी शर्त जिसके तहत तीसरे पक्ष का अधिकार है जैसा कि निर्णय के पैरा 23 में उल्लेख किया गया है।

10. पैरा 69 और 70 में सिद्धांतों को निम्न प्रकार से दर्शाया गया हैः-

"बीमा कंपनी को ठोस साक्ष्य से यह साबित करना होगा कि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन हुआ हैं। यदि बीमा कम्पनी साबित करने में विफल रहती है कि बीमाधारक की ओर से पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय ने सबूत के संबंध में कोई डिग्री निर्धारित नहीं की है लेकिन उल्लंघन का आरोप लगाने वाले पक्षों को बीमा के अनुबंध की शर्त के उल्लंघन को स्थापित करने में सफल होना चाहिए। अधिकरण को अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।"

11. पैरा 110 में भी निष्कर्ष का सारांश इस प्रकार हैः-

(i) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अध्याय 11 में तीसरे पक्ष के जोखिमों के विरूद्ध वाहनों का अनिवार्य बीमा प्रदान करना मोटर वाहनों के उपयोग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से पीड़ितों को प्रतिकर के माध्यम से राहत देने के लिए एक सामाजिक कल्याण कानून है। सभी वाहनों के अनिवार्य बीमा कवरेज के प्रावधान इस सर्वोपरि उद्देश्य के साथ है और अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि उक्त उद्देश्य को प्रभावी बनाया जा सके।

(ii) मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163 ए व धारा 166 के तहत याचिका में बीमाकर्ता धारा 1492 एपप) के तहत बचाव करने का इस अधिनियम के अधीन अधिकारी हैं।

(iii) बीमा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन जैसे कि चालक की अयोग्यता या चालक की अमान्य चालन अनुज्ञप्ति के संबंध में बीमा कम्पनी को धारा 149(2)(ए) (ii) के तहत यह साबित करना होगा कि बीमाकर्ता द्वारा दायित्व से बचने के लिए बीमा कराया गया। केवल अनुपस्थिति नकली या अमान्य चालन अनुज्ञप्ति या प्रासंगिक समय पर चालन के लिए चालक की अयोग्यता अपने आप में बीमाकर्ता या तीसरे पक्ष के विरूद्ध बीमाकर्ता के लिए उपलब्ध बचाव नहीं है। बीमाधारक के प्रति अपनी देनदारी से बचने के लिए बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा

कि बीमाधारक लापरवाही का दोषी था और विधिवत अनुज्ञप्ति प्राप्त चालक या ऐसे व्यक्ति द्वारा वाहनों के उपयोग के संबंध में पॉलिसी की शर्तों को पूरा करने के मामले में उचित देखभाल करने में विफल रहा। प्रासंगिक समय पर चालक गाड़ी चलाने के लिए अयोग्य घोषित था।

(iv) हालाँकि बीमा कंपनियों को अपनी देनदारी से बचने के लिए न केवल कार्यवाही में उठाए गए उपलब्ध बचाव को साबित करना होगा बल्कि वाहन मालिक की ओर से उल्लंघन को साबित करने का भार भी उन पर रहेगा।

(v) न्यायालय इस बारे में कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता है कि उक्त बोझ का निर्वहन कैसे किया जाएगा क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

(vi) जहां बीमाकर्ता प्रासंगिक अवधि के दौरान चालक द्वारा वैध अनुज्ञप्ति रखने या गाड़ी चलाने की योग्यता के संबंध में पॉलिसी की शर्तों के संबंध में बीमाधारक की ओर से उल्लंघन साबित करने में सक्षम हैं वहां बीमाकर्ता को इससे बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीमाधारक के प्रति उत्तरदायित्व जब तक कि चालन अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन इतना मौलिक न हो कि दुर्घटना के कारण में योगदान देता हो। नीति शर्तों की व्याख्या में अधिकरण अधिनियम की धारा 149(2) के तहत बीमाकर्ता को

बचाव की अनुमति देने के लिए ''मुख्य उद्देश्य के नियम'' और ''मौलिक उल्लंघन'' की अवधारणा को लागू करेंगे।

(vii) यह प्रश्न कि क्या मालिक ने यह पता लगाने के लिए उचित सावधानी बरती हैं कि चालक द्वारा प्रस्तुत चालन अनुज्ञप्ति (नकली या अन्यथा कानून की आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं यह हर मामले में निर्धारित करना होगा।

(viii) यदि दुर्घटना के समय वाहन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था जिसके पास शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति हैं तो बीमा कंपनियां डिक्री को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(ix) धारा 165 सपठित धारा 168 के तहत गठित दावा अधिकरण को मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली मृत्यु या शारीरिक चोट या तीसरे पक्ष की संपत्ति की क्षति से जुड़ी दुर्घटनाओं के संबंध में सभी दावों पर निर्णय करने का अधिकार है। अधिकरण की उक्त शक्ति एक तरफ दावेदार या दावाकर्ताओं और दूसरी तरफ बीमाधारक बीमाकर्ता और चालक के बीच दावों पर निर्णय लेने तक सीमित नहीं है। प्रतिकर के दावे पर निर्णय लेने और बीमाकर्ता के लिए बचाव या सुरक्षा की उपलब्धता तय करने के दौरान अधिकरण के पास बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच विवादों को तय करने की शक्ति और क्षेत्राधिकार होता है।

(x) दावेदारों द्वारा प्रतिकर के दावे के निर्णय के दौरान बीमाकर्ता और बीमाधारक के बीच दावों और विवादों पर दिया गया निर्णय और उस पर दिया गया पंचाट उसी तरीके से लागू और निष्पादन योग्य है जैसा कि धारा 174 में प्रदान किया गया है।

(x) जहां अधिनियम के तहत दावे के फैसले पर अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बीमाकर्ता ने उपधारा (7) सपठित धारा 149(2) के प्रावधानों के अनुसार अपना बचाव संतोषजनक ढंग से साबित कर दिया है जैसा कि इसकी व्याख्या की गई है उपरोक्त अधिकरण निर्देश दे सकता है कि बीमाकर्ता बीमाधारक द्वारा प्रतिकर और अन्य रकम की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है जिसे अधिकरण के फैसले के तहत तीसरे पक्ष को भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया है। अधिकरण द्वारा दावे का ऐसा निर्धारण प्रवर्तनीय होगा और बीमाधारक से बीमाकर्ता को देय धनराशि, अधिकरण द्वारा कलेक्टर को जारी प्रमाण पत्र पर अधिनियम की धारा 174 के तहत भू-राजस्व के बकाया के समान वसूली योग्य होगी। भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली के लिए प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाएगा जब अधिनियम की धारा 168 की उपधारा 3 के अनुसार बीमाधारक तारीख से तीस दिनों के भीतर बीमाकर्ता के पक्ष में दी गई राशि जमा करने में विफल रहता है।

(xi) उपधारा 4 के तहत प्रावधान और उपधारा 5 में निहित प्रावधानों का उद्देश्य उसमें उल्लिखित निर्दिष्ट आकस्मिकताओं को कवर करना है ताकि बीमाकर्ता को बीमा के अनुबंध के तहत भुगतान की गई राशि की वसूली करने में सक्षम बनाया जा सके। बीमाधारक को अधिकरण द्वारा सहारा लिया जा सकता है और उन मामलों में बीमाधारक के खिलाफ बीमाकर्ता के दावों और बचावों को नियमित न्यायालय के समक्ष उपचार के लिए भेजा जा सकता है जहां दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पीड़ितो के दावों के बारे में फैसले में देरी हो सकती है।"

12. इस समय अधिनियम की धारा 149 के पीछे के तर्क का परीक्षण करना आवश्यक होगा। उक्त प्रावधान के तहत शर्तें केवल (xi) तीसरे पक्ष के जोखिमों और दावों से संबंधित हैं।

17. धारा 149 अध्याय 11 का हिस्सा है जिसका शीर्षक है '' तीसरे पक्ष के खिलाफ मोटर वाहनों का बीमा।'' एक महत्वपूर्ण कारक जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि बीमा कंपनी और तीसरे पक्ष के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं है। तीसरे पक्ष से संबंधित देनदारियां और दायित्व केवल अधिनियम की धारा 147 और 149 की कल्पना से निर्मित होती हैं।

18. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पॉलिसी की शर्तों को वैसे ही समझा जाना चाहिए जैसे कि कुछ और जोड़ने या घटाने की कोई

गुंजाइश नहीं है। नीति को चाहे कितनी भी उदारतापूर्वक समझा जाए ऐसी उदारता का विस्तार उन शब्दों के प्रतिस्थापन की अनुमति देने के लिए नहीं किया जा सकता है 1 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हरचंद राय चंदन लाल 2004(8) एससीसी 644 और पॉलीमैट इंडिया प्रा. लिमिटेड बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य 2005 (9)एससीसी 174 देखें ।

19. बीमा कंपनी का प्राथमिक तर्क यह है कि वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी। स्वर्ण सिंह के मामले में सुप्रा निम्नलिखित स्थितियाँ नोट की गईः-

1. चालक के पास चालन अनुज्ञप्ति थी लेकिन वह नकली थी।

2. चालक के पास कोई अनुज्ञप्ति नहीं थी।

3. चालक के पास मूल रूप से वैध चालन अनुज्ञप्ति थी लेकिन दुर्घटना की तारीख को इसकी अवधि समाप्त हो गई थी और इसे नवीनीकृत नहीं किया गया था।

4. अनुज्ञप्ति बीमाकृत वाहन के अलावा किसी अन्य श्रेणी के वाहनों के लिए थी।

5. अनुज्ञप्ति एक शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति थी।

श्रेणी (i) में दो प्रकार की स्थितियाँ शामिल हो सकती हैं। पहली अनुज्ञप्ति स्वयं नकली थी और दूसरी मूल रूप से वह अनुज्ञप्ति नकली है लेकिन बाद में कानून के अनुसार उसका नवीनीकरण किया गया है।

20. अधिनियम के अध्याय 11 की धारा 3 4 और 5 मोटर वाहन चलाने वाले चालको की अनुज्ञप्ति से संबंधित हैं।

24. वैधानिक प्रावधानों की पृष्ठभूमि में एक बात एकदम स्पष्ट है कि कानून तीसरे पक्ष के लिए लाभकारी है। लेकिन वह लाभ दोषी वाहन के मालिक को नहीं दिया जा सकता। तीसरे पक्ष के संबंध में और स्वयं के नुकसान के दावों के संबंध में नकली अनुज्ञप्ति के तर्क पर अलग-अलग विचार किया जाना चाहिए।

25. कंप्लीट इंसुलेशन प्रा. लि. बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी 19961 (1)एससीसी 221 के पैरा 9 और 10 में यह अभनिर्धारित किया गया हैः-

> "9. अध्याय 11 की धारा 157 का शीर्षक है " तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ मोटर वाहनों का बीमा और इसमें धारा 145 से 164 शामिल हैं। धारा 145 उस अध्याय के विभिन्न प्रावधानों में प्रयुक्त कुछ अभिव्यक्तियों को परिभाषित करती है।अभिव्यक्ति "बीमा प्रमाणपत्र" का अर्थ है धारा 1473(3) के तहत अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र

तथा बीमा की पॉलिसी में बीमा का प्रमाण पत्र शामिल है । धारा 146 (1)में कहा गया है कि ''कोई भी व्यक्ति सिवास किसी यात्री के रप में तब तक किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटर वाहन का उपयोग नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि उस व्यक्ति या उस अन्य व्यक्ति द्वारा वाहन के उपयोग के संबंध में जैसा भी मामला हो इस अध्याय की आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाली बीमा पॉलिसी लागू न हो। यह प्रावधान केंद्र या राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वाहनों पर लागू नहीं होता है और सरकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है जो किसी भी वाणिज्यिक उद्यम से जुड़े नहीं हैं। यह प्रावधान पुराने अधिनियम की धारा 94 से मेल खाता है। धारा 147 में प्रावधान है कि बीमा की पॉलिसी प्राधिकृत बीमाकर्ता को निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों को किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे पक्ष की किसी संपत्ति के नुकसान के संबंध में किए गए किसी भी दायित्व के साथ-साथ किसी भी यात्री की मृत्यु या शारीरिक चोट के खिलाफ जारी की जायेगी। किसी सार्वजनिक सेवा वाहन के सार्वजनिक स्थान पर उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न होने वाला। यह

प्रावधान पुराने अधिनियम की धारा 95 के समान है। यह देखा जाएगा कि दायित्व किसी तीसरे पक्ष की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तक फैला हुआ है न कि वाहन के मालिक यानी बीमाधारक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तक। उपधारा 2 दायित्व की सीमा निर्धारित करती है और तीसरे पक्ष की संपत्ति के मामले में दायित्व की सीमा केवल छह हजार रुपये है। उस उपधारा का प्रावधान पॉलिसी के तहत निर्धारित दायित्व को चार महीने तक या उसकी वास्तविक समाप्ति की तारीख तक जो भी पहले हो जारी रखता है उपधारा 3 में अगला प्रावधान है कि बीमा की पॉलिसी तब तक कोई प्रभाव नहीं डालेगी जब तक कि बीमाकर्ता निर्धारित प्रपत्र में बीमा प्रमाणपत्र जारी नहीं कर देता। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं वह धारा 156 है जो बीमा प्रमाणपत्र के प्रभाव को निर्धारित करता है । इसमें कहा गया है कि जब बीमाकर्ता बीमा का प्रमाण पत्र जारी करता है तो भले ही बीमा की पॉलिसी अभी तक जारी नहीं की गई हो बीमाकर्ता को अपने और बीमाधारक को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के बीच बीमाधारक को पॉलिसी जारी करने के लिए माना जाएगा। इस प्रावधान को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि विधायिका तीसरे

पक्ष के हितों की रक्षा के लिए उत्सुक थी। इसके बाद धारा 157 आती है जिसमे यह प्रावधान है कि जब वाहन मालिक जिसके संबंध में बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है मोटर वाहन के स्वामित्व को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करता है तो उसमें वर्णित पॉलिसी के साथ बीमा प्रमाणपत्र को उसके पक्ष में स्थानांतरित माना जाएगा तथा जिसके पक्ष में हस्तांतरण किया गया है वह स्थानांतरण की तिथि से वाहन का नया मालिक हो जायेगा। उपधारा 2 के अनुसार अंतरिती को अपने पक्ष में बीमा प्रमाणपत्र और उसमें वर्णित पॉलिसी में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए बीमाकर्ता को अंतरण की तारीख से चैदह दिनों के भीतर आवेदन करने की आवश्यकता होती है। ये अध्याय के प्रासंगिक प्रावधान हैं जिनका वर्तमान मामले में बीमाकर्ता के दायित्व के प्रश्न पर प्रभाव पड़ता है।

10. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त अध्याय तीसरे पक्ष के जोखिमों को कवर करने के लिए वाहनों के अनिवार्य बीमा का प्रावधान करता है। धारा 146 सार्वजनिक स्थान पर किसी वाहन के उपयोग पर रोक लगाती है जब तक कि उस वाहन के उपयोग के संबंध में उस अध्याय की आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाली बीमा पॉलिसी लागू

न हो। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन दंडात्मक कार्यवाही को आकर्षित कर सकता है। संपत्ति के मामले में कवरेज तीसरे पक्ष यानी बीमाधारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति तक विस्तारित होता है। यह धारा 147(1)(बी)(1) से स्पष्ट है जो स्पष्ट रूप से "तीसरे पक्ष की किसी भी संपत्ति को नुकसान" को संदर्भित करता है न कि स्वयं बीमाधारक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए और जैसा कि पहले बताया गया है किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति के नुकसान के लिए निर्धारित दायित्व की सीमा केवल छह हजार रुपये है। यही कारण है कि धारा 165 के तहत गठित दावा अधिकरण को भी मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी तीसरे की संपत्ति को नुकसान से संबंधित दुर्घटनाओं के संबंध में मुआवजे के दावों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है। यहां भी यह तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तक ही सीमित है न कि बीमाधारक की संपत्ति को।"

26. धारा 173(2) के संदर्भ में अपील से संबंधित प्रतिबंध स्वयं के नुकसान के मामलों पर लागू नहीं होते हैं।

38. इसलिए अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि स्वर्ण सिंह मामले सुप्रा में दिए गए निर्णय का स्वयं के नुकसान के मामलों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। फर्जी अनुज्ञप्ति के प्रभाव पर इस न्यायालय द्वारा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी शिमला बनाम कमला और अन्य 2001(4) एससीसी 342 में जो कहा गया है उसके आलोक में विचार किया जाना चाहिए। । एक बार जब अनुज्ञप्ति नकली हो जाती है तो नवीनीकरण नकली अनुज्ञप्ति के प्रभाव को खत्म नहीं कर सकता है। इसे कमला व अन्य के मामले सुप्रा में इस प्रकार देखा गया हैः--

> "12. कानून के एक बिंदु के रूप में हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक नकली अनुज्ञप्ति केवल इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती है कि कुछ अधिकारियों ने इसे जाली होने की जानकारी के साथ या उसके बिना नवीनीकृत कर दिया है। अधिनियम की धारा 15 अनुज्ञप्ति अधिकारी को केवल यह अधिकार देती है कि वह "इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किए गए चालन अनुज्ञप्ति को उसकी समाप्ति की तारीख से नवीनीकृत करे।" किसी भी अनुज्ञप्ति अधिकारी के पास नकली अनुज्ञप्ति को नवीनीकृत करने की शक्ति नहीं है और इसलिए यदि नवीनीकरण किया भी जाता है तो नकली अनुज्ञप्ति को असली में नहीं बदला जा सकता है। कोई भी नकली दस्तावेज जो यह दर्शाता है कि इसमें

किसी वैधानिक प्राधिकारी का कथित आदेश शामिल है वह कभी भी जाली ही रहेगा इस तथ्य के बावजूद कि कुछ वैधानिक प्राधिकारियों सहित अन्य व्यक्तियों ने दस्तावेज पर अनजाने में इस धारणा पर काम किया होगा कि वह वास्तविक है।''

39. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तीसरे पक्ष के अधिकार और स्वयं के नुकसान के मामलों के बीच वैचारिक अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रारंभ में बीमाकर्ता पर यह साबित करने की जिम्मेदारी होती है कि अनुज्ञप्ति नकली थी। एक बार यह स्थापित हो जाए तो स्वाभाविक परिणाम सामने आने ही हैं।''

9. उपरोक्त पहलुओं को हाल ही में लक्ष्मी नारायण धुत मामले सुप्रा में उजागर किया गया था।

10. वर्तमान मामले में राज्य आयोग ने स्पष्ट रूप से पाया है कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि अनुज्ञप्ति अधिकारी ने कोई अनुज्ञप्ति जारी नहीं की थ जैसा कि चालक और प्रतिवादी द्वारा दावा किया गया था। संयुक्त कार्यालय के कनिष्ठ सहायक श्री एवीवी राजन जिन्होंने आधिकारिक अभिलेख प्रस्तुत किया ने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि श्री रविंदर कुमार या रविंदर सिंह को मोटर वाहन चलाने के लिए सक्षम और कानूनी रूप से अनुमति देने के लिए कोई चालन

अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई थी। उक्त गवाह से कोई जिरह नहीं की गई। राष्ट्रीय आयोग ने यह भी पाया कि इस संबंध में राज्य आयोग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में कोई दोष नहीं था।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-7-2005 के अनुसार प्रदान की गई पूरी राशि इस न्यायालय में जमा कर दी गई थी। चूंकि हमने माना है कि अपीलकर्ता- बीमा कंपनी का कोई दायित्व नहीं है इसलिए जमा की गई राशि अर्जित ब्याज यदि कोई हो के साथ अपीलकर्ता- बीमा कंपनी को वापस कर दी जाए।

12. अपील स्वीकार की जाती है कोई लागत नहीं।

अपील स्वीकृत

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ऋषि कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।